



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052026-272411
CG-DL-E-09052026-272411

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2278]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948

No. 2278]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

का.आ. 2369(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि हरियाणा राज्य के पलवल जिले में NH19 के कि.मी. 44.400 से कि.मी.94.000 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/छ: लेन या टोल प्लाजा का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति जिला राजस्व अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन राष्ट्रीय राजमार्ग सं.19, पलवल को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा

ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

हरियाणा राज्य के पलवल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-19 के कि.मी. 44.400 से कि.मी. 94.000 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: हरियाणा			जिले का नाम: पलवल		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: पलवल					
गांव का नाम: सोफता					
1	23//7/1/1/1	निजी	गैर कृषि	0.0151758 (हेक्टेयर)	0.0151758
गांव का नाम: पृथला					
2	117//20/2/1	निजी	गैर कृषि	0.0075879 (हेक्टेयर)	0.0075879
3	117//21/1/2	निजी	गैर कृषि	0.025293 (हेक्टेयर)	0.025293
गांव का नाम: बघौला					
4	30//2/1/1 Min	निजी	गैर कृषि	0.0151758 (हेक्टेयर)	0.0151758
5	30//9/2/1/2	निजी	गैर कृषि	0.0025293 (हेक्टेयर)	0.0025293
गांव का नाम: अगवांनपुर					
6	48//16/2/1	निजी	गैर कृषि	0.0101172 (हेक्टेयर)	0.0101172
गांव का नाम: धौलागढ़					
7	13//12/1/1/1/2/1	निजी	गैर कृषि	0.0177051 (हेक्टेयर)	0.0177051
8	13//12/1/1/2/1	निजी	गैर कृषि	0.0126465 (हेक्टेयर)	0.0126465

गांव का नाम: खुसरोपुर					
9	7//2/4/2	निजी	गैर कृषि	0.0202344 (हेक्टेयर)	0.0202344
गांव का नाम: खेड़ा सराय					
10	47//15/1/2	निजी	गैर कृषि	0.0101171 (हेक्टेयर)	0.0101171
गांव का नाम: बहुरौला					
11	39//7/2/2	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0227637 (हेक्टेयर)	0.0227637
तालुक का नाम: होडल					
गांव का नाम: तुमसरा					
12	25//15/1/1	निजी	गैर कृषि	0.0682911 (हेक्टेयर)	0.0682911
13	25//17/1 Min	निजी	गैर कृषि	0.0126465 (हेक्टेयर)	0.0126465
14	25//6/2/2/2	निजी	गैर कृषि	0.0151758 (हेक्टेयर)	0.0151758
15	25//6/3/2	निजी	गैर कृषि	0.0101172 (हेक्टेयर)	0.0101172
Total					0.2655764

[फा. सं. 11012/Ph. V/NH-2/LA/DA/DK-II/2009/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th May, 2026

S.O. 2369(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/six laning with paved shoulder/toll plaza etc.), maintenance, management and operation of NH19 in the stretch of land from Km. 44.400 to Km. 94.000 in the district of PALWAL in the state of HARYANA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the District Revenue Officer cum Competent Authority, Land Acquisition NH-19, Palwal in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such

objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling on NH19 in the stretch of land from Km. 44.400 to Km. 94.000 in the District of PALWAL in the State of HARYANA

State: HARYANA			District: PALWAL		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Palwal					
Village: Softa					
1	23//7/1/1/1	Private	Non Agriculture	0.0151758 (Hectare)	0.0151758
Village: Prithala					
2	117//20/2/1	Private	Non Agriculture	0.0075879 (Hectare)	0.0075879
3	117//21/1/2	Private	Non Agriculture	0.025293 (Hectare)	0.025293
Village: Baghaura					
4	30//2/1/1 Min	Private	Non Agriculture	0.0151758 (Hectare)	0.0151758
5	30//9/2/1/2	Private	Non Agriculture	0.0025293 (Hectare)	0.0025293
Village: Agawanpur					
6	48//16/2/1	Private	Non Agriculture	0.0101172 (Hectare)	0.0101172
Village: Dhaulagarh					
7	13//12/1/1/1/2/1	Private	Non Agriculture	0.0177051 (Hectare)	0.0177051
8	13//12/1/1/2/1	Private	Non Agriculture	0.0126465 (Hectare)	0.0126465
Village: Khusaropur					
9	7//2/4/2	Private	Non Agriculture	0.0202344 (Hectare)	0.0202344
Village: Kheda Sarai					
10	47//15/1/2	Private	Non Agriculture	0.0101171 (Hectare)	0.0101171
Village: Wahraula					
11	39//7/2/2	Government	Non Agriculture	0.0227637 (Hectare)	0.0227637
Taluk: Hodal					
Village: Tumsara					
12	25//15/1/1	Private	Non Agriculture	0.0682911 (Hectare)	0.0682911
13	25//17/1 Min	Private	Non Agriculture	0.0126465 (Hectare)	0.0126465

14	25//6/2/2/2	Private	Non Agriculture	0.0151758 (Hectare)	0.0151758
15	25//6/3/2	Private	Non Agriculture	0.0101172 (Hectare)	0.0101172
Total					0.2655764

[F. No. 11012/Ph. V/NH-2/LA/DA/DK-II/2009/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director